न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2013 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 24.12.2013
G.C.M.S. NO. :_ 2013/00015

किशन लाल पिता भूरा लाल लौहार जाति लौहार, आयु 25 वर्ष, निवासी पीराना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार/प्रार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत पीराना, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पीराना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकार/विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 07 बैठक दिनांक 21.12.2013 की अनुपालना में जारी नोटिस क्रमांक/ग्रा.पं./04/ दिनांक 21.12.2013 अतिक्रमण हटाने बाबत।

उपस्थिति : 1–श्री मनोहर लाल दक, अधिवक्ता निगराकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 27/2013 (नि.पं.)
किशनलाल पिता भूरालाल लौहार निवासी पीराना बनाम ग्राम पंचायत पीराना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पीराना

निर्णय

दिनांक 11.11.2022

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 21.12.2013 व उस प्रस्ताव की अनुपालना में जारी नोटिस क्रमांक ग्रा.पं./4 दिनांक 21.12.2013 बाबत् अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निगराकार को जारी किया जो तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व निगराकार को कोई जानकारी नहीं दी तथा एक तरफा नोटिस जारी कर दिया जो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 21.12.2013 की अनुपालना में जारी नोटिस क्रमांक ग्रा.पं./4 दिनांक 21.12.2013 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकार को सूचना पत्र जारी किया गया। गैर निगराकार की ओर से सचिव ग्राम पंचायत, पीराना ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया उसके पश्चात् विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित प्रस्ताव संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत से संबंधित रेकार्ड प्राप्त होने पर बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुनी गई एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत पीराना द्वारा निगराकार को विधिवत रूप से एक भूखण्ड का निलामी से निलाम राशि 1350/-अक्षरे एक हजार तीन सौ पचास रूपये में आवंटन किया गया जिसका विक्रय विलेख भी विधिवत रूप से ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 28.03.2003 को जारी किया गया। जिसकी साईज 50 बाई 30 फीट है उक्त भूखण्ड पर आवंटन के पश्चात् से निगराकार का ही स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा है तथा मौके पर निगराकार ने पत्थर डलवाकर पत्थरों की बाउण्ड्री वाल बना रखी है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने निगराकार को बिना किसी नोटिस व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक तरफा रूप से प्रस्ताव पारित किया कि प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड पर पत्थर डालकर कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया और उस अतिक्रमण को हटाने का एक प्रस्ताव संख्या 7 पंचायत की बैठक दिनांक 21.12.2013 में लिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि मौके पर निगराकार का कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि पट्टे के अनुसार ही वास्तविक रूप से काबिज है जिसे किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में पंचायत ने बिना किसी आधार के, बिना जांच पड़ताल के निगराकार को बिना सुनवाई का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर दिये अतिक्रमण मानकर जल्दबाजी में एक तरफा नोटिस दिनांक 21.12.2013 को ही जारी कर दिया इस प्रकार पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह कार्यवाही विधि-विरूद्ध, मनमानी एवं एक तरफा होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत पीराना की बैठक दिनांक 21.12.2013 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 की अनुपालना में जारी नोटिस क्रमांक ग्रा.पं./04 दिनांक 21.12.2013 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

ग्राम पंचायत पीराना द्वारा जवाब पेश किया कि निगराकार किशनलाल पिता भूरालाल लौहार निवासी पीराना द्वारा अतिक्रमण कर पत्थर से दीवार बना दी है यह जमीन पंचायत की चारागाह है एवं खसरा संख्या 851 है। इस पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस पंचायत की बैठक दिनांक 21.12.2013 के प्रस्ताव संख्या 07 की पालना में जारी किया गया। प्रार्थी को दिनांक 28.08.2003 में पट्टा जारी किया गया जिसमें स्थानीय निधि अंकेक्षण परीक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003-04 के पैरा 19 में रियायती दर पर अतिक्रमियों को आवासीय भूखण्ड की सूची परिशिष्ठ-1 में प्रार्थी का नाम क्र. सं. 22 पर है जिसमें राशि 43650/-रू. वसूली जो प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की राशि पंचायत में जमा नहीं करवाई गई। साथ ही स्थानीय निधि अंकेक्षण परीक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003-04 के पैरा संख्या 19 की टिप्पणी मे जारी पट्टों को निरस्त कराने का आदेश फरमाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रकरण निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रकरण से संबंधित अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। सर्वप्रथम हम यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत पीराना द्वारा निगराकार को अतिक्रमण हटाने हेतु जो प्रस्ताव लिया है वो प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 21.12.2013 नहीं होकर प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.12.2013 है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जरिये मिसल संख्या 22 दायर दिनांक 2807.2003 से पुस्तक संख्या 1 द्वारा पट्टा क्रमांक 16226 दिनांक 28.08.2003 को निगराकार के पक्ष में जारी किया जाना प्रतिवेदित है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने निगराकार का ग्राम पंचायत पीराना की चारागार भूमि आराजी संख्या 851 पर अवैध अतिक्रमण होना बताया है जबकि अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त भूखण्ड अथवा विवादित भूमि चारागाह में होने के कथन की पुष्टि होती हो तथा ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार के नाम जो पट्टा क्रमांक 16226 दिनांक 28.08.2003 जारी किया गया है उसमें भी आराजी नम्बर का कॉलम रिक्त छोड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है। यदि उक्त आराजी नम्बर 851 चारागाह है तो ग्राम पंचायत को उक्त भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार ही प्रदत्त नहीं है। जबकि निगराकार ने उसे आवंटित पट्टे की भूमि पर ही काबिज होने का कथन किया है।

जहां तक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निगराकार के विरूद्ध बकाया निकाली गई राशि 43650/- अक्षरे तईयांलिस हजार छः सौ पचास रूपये निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत में जमा नहीं कराने का कथन किया है वहां उपलब्ध रेकार्ड अनुसार यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त बकाया राशि वसूली हेतु अथवा राशि जमा कराने हेतु कोई नोटिस/सूचना पत्र निगराकार को जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित अभिलेख के अन्दर उपलब्ध है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा बकाया राशि वसूली हेतु पत्र ही जारी नहीं किया गया है तो निगराकार द्वारा बिना जानकारी के उक्त राशि जमा कराना सम्भव नहीं है।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003-04 में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का विवरण पत्र परिशिष्ठ संख्या-1 मे कुल 37 व्यक्तियों के विरूद्ध वसूली योग्य राशि निकाली गई है तथा पैरा 19 में उक्त पट्टों को खारिज कराने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध वसूली तथा उक्त पट्टों को निरस्त कराने की कार्यवाही नहीं किया जाना प्रतिवेदित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत पीराना द्वारा पंचायत की बैठक दिनांक 21.12.2013 में पारित प्रस्ताव संख्या 09 की अनुपालना में जारी नोटिस क्रमांक/ग्रा.पं./04 दिनांक 21.12.2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निगराकार को उसके कब्जे के संबंध में सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाकर एवं यदि उक्त पट्टा चारागाह भूमि में है तो इस संबंध में जांच कर पट्टा खारिज कराने की कार्यवाही करें। साथ ही स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पैरा 19 मे उक्त पट्टों की राशि वसूली तथा पट्टों को खारिज कराने के दिए गए निर्देशों के संबंध में भी अविलम्ब विधि-सम्मत् कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official